

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8-9/2018-19/6448-2 दिनांक 14.09.2018
विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष
2018-2019 में धनराशि का आवंटन एवं दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शासनादेश सं0-जी0आई0 136/5-9-07-9(113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0-3668/5-9.7-9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0-3667/5-9-08-9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन संचालित की जा रही है। भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 की स्वीकृतियों के अनुसार "जननी सुरक्षा योजना" वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 2740930 लाभार्थियों के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यक्रम क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं।

1. गर्भवती महिलाओं का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन-

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु वी0एच0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाये।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान-

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-657/पॉच-9-2013-9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8-6/13-14/934-75 दिनांक-30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|---------|---|-----------------|--------------|
| 1 | लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रु०) | 1400.00 | 1000.00 |
| 2 | घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रु०) (केवल बी0पी0एल0 धारक) | 500.00 | 500.00 |
| 3 | आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रु०) | | |
| | ● राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये | 300.00 | 200.00 |
| | ● लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप | 300.00 | 200.00 |
| | आशा को दी जाने वाली कुल प्रोत्साहन धनराशि (रु०) | 600.00 | 400.00 |

उपर्युक्तानुसार सभी व्यवस्थाएँ लागू कर लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

3. **गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु आर्थिक सहायता—**
प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-176/5-9-07-9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पाँच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता (ए.एन.एम./एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू०- 500/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य किया गया है जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि० स्वा० एवं प०क०, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक 373/पाँच-9-2014-9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।
4. **जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान -**

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/एन०आर०एच०एम०/2012-13/ लेखा/पी०एफ०एम०एस०/187/ 50 67-2 दिनांक 04.02.2015 के द्वारा सभी भुगतान पी०एफ०एम०एस० वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान एम०सी०टी०एस० डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज कर लिये जाने का प्राविधान है।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार डी०बी०टी० योजना के तहत दिनांक 01 अप्रैल 2017 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए०एन०एम० द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

समस्त जे०एस०वाई० भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जाये।

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी०एफ०एम०एस० वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की जानकारी पत्र के साथ संलग्न (संलग्नक-2) प्रमाण पत्र "जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र" के माध्यम से दे दी जाये जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। यदि लाभार्थी का खाता न हो तो यह भी लाभार्थी के भुगतान प्रमाण पत्र में दर्शा दिया जाये एवं खाता खुल जाने पर धनराशि का हस्तान्तरण कर दिया जाये। सुनिश्चित करें कि सभी भुगतान इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध करा दिया जाये। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये।

5. **जे०एस०वाई० फार्म- संलग्न**

पत्र के साथ जे०एस०वाई० फार्म का प्रारूप (संलग्नक- 1) जो मात्र दो पृष्ठ का है, को समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी०पी०एल० लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें। पुराने जे०एस०वाई० फार्म का उपयोग कदापि न किया जाये।

6. मान्यता प्राप्त प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था-

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3667/5-9-08-9(113)/05 चिकित्सा अनु0-9, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर केवल बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं (लाभार्थी) को ही प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है। मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों की जननी सुरक्षा योजना में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिये आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर प्रति बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन प्रसव **₹0-10000.00** की दर से निजी चिकित्सालय को भुगतान किया जायेगा। जनपदों में मान्यता प्राप्त प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों की संख्या अत्यन्त कम है अतः समस्त जनपदों से अधिकाधिक प्राइवेट चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ जन मानस तक पहुँचाने के लिये एक्स्टेंडेड किया जाना अपेक्षित है इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश <http://upnrhm.gov.in/government-orders.php> के अन्तर्गत **GO No 3667 REGARDING ACCREDITATION OF PRIVATE NURSING HOME UNDER JSY(MH) 05 MAR 2008** में उपलब्ध है।

2. जनपद चित्रकूट, कासगंज, सम्भल, श्रावस्ती, सोनभद्र एवं मैनपुरी में सिजेरियन प्रसव हेतु विशेष व्यवस्था (समस्त ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 लाभार्थियों हेतु) -

उपर्युक्त राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण सिजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहे हैं, अतः इस हेतु चयनित 6 जनपदों चित्रकूट, कासगंज, सम्भल, श्रावस्ती, सोनभद्र एवं मैनपुरी में मान्यता प्राप्त प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव की सुविधा समस्त (ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0) लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी। इस हेतु-

- केवल राजकीय चिकित्सा इकाई द्वारा रेफर किये गये इलेक्टिव एवं इमरजेंसी प्रसव केंसो को सिजेरियन ऑपरेशन की यह सुविधा देय होगी।
- प्रत्येक (ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0) सिजेरियन ऑपरेशन पर प्रति ऑपरेशन **₹0- 10000.00** की दर से एक मुश्त भुगतान निजी नर्सिंग होम को देय होगा (मुख्य चिकित्साधिकारी इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम से वार्ता कर दर निर्धारित करेंगे)।
- चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के लिये पिछले खण्ड में दिये गये शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाये।
- प्रत्येक माह की समाप्ति पर नर्सिंग होम को उनके द्वारा विगत माह में सम्पादित किये गये ऑपरेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव हेतु जनरल वार्ड में 10 शैय्या सुरक्षित रखेंगे तथा "जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुरक्षित वार्ड" का एक बोर्ड लगाकर प्रचारित करेंगे।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी से किसी भी प्रकार का (ऑपरेशन, औषधि एवं जाँच हेतु) शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव कराने वाले ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उसी प्रकार देय होगी। इस हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।
- जननी सुरक्षा योजना में प्राइवेट एक्स्टेंडेड चिकित्सालयों में हुये बी0पी0एल0 एवं उक्त 6 जनपदों (बी0पी0एल0/ए0पी0एल0) सिजेरियन प्रसवों की रिपोर्टिंग माहवार नियमित रूप से की जाये।

7. जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यय-

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुश्रवण, रिपोर्टिंग, आई0ई0सी0, योजना के सुचारु क्रियान्वयन, वेबसाइट एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु अनुमन्य की गयी है। प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से निम्न कार्य किए जा सकते हैं -

| क्र०सं० | प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ |
|---------|--|
| 1 | जनपद के एल-1, एल-2 एवं एल-3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर प्रसव कक्ष/ओ0टी0 एवं जे0एस0वाई0 वार्ड में मानकानुसार सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था |
| 2 | जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था |
| 3 | जिला महिला चिकित्सालय पर सिक्योरिटी एवं सफाई की औचित्यपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था |
| 4 | सभी स्तरों पर जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, स्टैण्डर्ड रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था (नवीन मानकानुसार 46 कॉलम बर्थ कम्पेनियन एवं आर0एम0सी0 सहित)। |
| 5 | मेडिकल कॉलेज पर सौन्दर्यीकरण/पोस्टर, जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था |
| 6 | सभी प्रसव इकाइयों पर जे0एस0वाई0, जे0एस0एस0के0 एवं एम0डी0आर0 के प्रचार-प्रसार हेतु दीवार लेखन, पोस्टर व सौन्दर्यीकरण व्यवस्था |

इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपदों को उपलब्ध कराये गये 04 प्रतिशत प्रशासनिक मद से जिला संयुक्त चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय के अंश के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-8/2015-16/ दिनांक-29.12.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गत वर्ष 2015-16 में जनपद की जे0एस0वाई0 में कुल उपलब्धि को आधार मानते हुए उस चिकित्सालय (मेडिकल कॉलेज/जिला महिला चिकि0/जिला संयुक्त चिकि0 आदि) की जे0एस0वाई0 उपलब्धि का प्रतिशत X निकाल लिया जाय। जनपद को 2017-18 में स्वीकृत कुल प्रशासनिक धनराशि की X प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित जिला स्तरीय चिकित्सालय को हस्तान्तरित कर दी जाये।

8. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग:- (एच0एम0आई0एस0/यू0पी0एच0एम0आई0एस0 के माध्यम से)

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को एच0एम0आई0एस0 के अतिरिक्त यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है। तदक्रम में चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या -36/2015/694/पांच -9-2015-9(127)/12टी0सी0 दिनांक 26-05-2015 द्वारा समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ों को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टतया निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि समस्त आंकड़ों को उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे की आगामी मासिक समीक्षा हेतु यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा (यू0पी0एच0एम0आई0एस0) कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

9. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट-

“जननी सुरक्षा योजना” एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है जिसके लिये प्रत्येक स्तर पर धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। जिला कार्ययोजना में जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये लक्षित 2740930 लाभार्थियों हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदवार लक्ष्य के अनुरूप कोड संख्या-1.2.1.1, 1.2.1.2.a, 1.2.1.2.b, 1.2.1.2.c, 3.1.1.1.1, U.3.1.1.2, 16.4 अवमुक्त

धनराशि का सदुपयोग उपर्युक्त दिशा-निर्देश के अनुसार करना सुनिश्चित करें, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव, नगरीय क्षेत्रों के प्रसव, आशा को देय धनराशि, मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में बी०पी०एल० महिलाओं के सिजेरियन आपरेशन पर निजी नर्सिंग होम हेतु अलग-अलग निर्धारित शीर्षवार, मदवार के अन्तर्गत धनराशि की फांट प्रदर्शित है।

धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। कार्यक्रम/मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही नियमानुसार व्यय किया जाये। आगामी धनराशि का भुगतान जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की आंकलन के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।

जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाय। व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिट, स्टेटच्युरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाये। अतः आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थियों अथवा आशाओं के भुगतान हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रसंख्या :-एसपीएमयू/जे०एस०वाई०/८-९/२०१८-१९/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक-परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके स्तर से पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करने के अनुरोध के साथ।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 6 वित्त नियंत्रक-एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, उ०प्र०।
- 8 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।


(डॉ० स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक, मातृस्वा०

JSY: Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2018-19

| Sl. No. | District | Physical Targets | | | | | | | | | | JSY Budget Sheet 2018-19 | | | | | 16.4 | Total JSY Budget for year 2018-19 for the districts |
|---------|----------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------|---|
| | | Janani Suraksha Yojana / JSY Total target | 12.1.1 Home Deliveries | Institutional Deliveries | Rural Deliveries | Urban Deliveries | Caesarean sections in | Incentives to ASHA(85% of Rural deliveries) | U.3.1.1.2 Incentives to Urban ASHA (Urban) | 12.1.1 Home deliveries @Rs.500 | 12.1.2.a Rural deliveries @ Rs.1,400 | 12.1.2.b Urban deliveries @ Rs.1,000 | 12.1.2.c Caesarean sections in Private accredited centers | 3.1.1.1.1 Incentives to Rural ASHA @ Rs.600 | U.3.1.1.2 Incentives to Urban ASHA @ Rs.400 | Administrative Expenses 4% | | |
| 41 | Kannauj | 26,410 | 10 | 26,400 | 20,400 | 6,000 | 5 | 17,300 | 280 | 5,000 | 28,560,000 | 6,000,000 | 50,000 | 10,380,000 | 112,000 | 1,799,800 | 46,906,800 | |
| 42 | Kanpur Dehat | 23,410 | 10 | 23,400 | 22,200 | 1,200 | 5 | 18,900 | 105 | 5,000 | 31,080,000 | 1,200,000 | 50,000 | 11,340,000 | 42,000 | 1,747,000 | 45,464,000 | |
| 43 | Kanpur Nagar | 39,110 | 10 | 39,100 | 24,100 | 15,000 | 5 | 20,500 | 5,915 | 5,000 | 33,740,000 | 15,000,000 | 50,000 | 12,300,000 | 2,366,000 | 2,443,800 | 65,904,800 | |
| 44 | Kasganj | 21,010 | 10 | 21,000 | 19,900 | 1,100 | 25 | 16,900 | 315 | 5,000 | 27,860,000 | 1,100,000 | 250,000 | 10,140,000 | 126,000 | 1,574,200 | 41,055,200 | |
| 45 | Kaushambi | 31,410 | 10 | 31,400 | 30,300 | 1,100 | 25 | 25,800 | 35 | 5,000 | 42,420,000 | 1,100,000 | 250,000 | 15,480,000 | 14,000 | 2,370,200 | 61,639,200 | |
| 46 | (Pradauna) | 59,610 | 10 | 59,600 | 58,900 | 700 | 150 | 50,000 | 245 | 5,000 | 82,460,000 | 700,000 | 1,500,000 | 30,000,000 | 98,000 | 4,586,600 | 119,349,600 | |
| 47 | Kheri | 70,710 | 10 | 70,700 | 68,500 | 2,200 | 5 | 58,200 | 140 | 5,000 | 95,900,000 | 2,200,000 | 50,000 | 34,920,000 | 56,000 | 5,323,000 | 138,454,000 | |
| 48 | Lalitpur | 28,920 | 20 | 28,900 | 26,200 | 2,700 | 5 | 22,300 | 490 | 10,000 | 36,680,000 | 2,700,000 | 50,000 | 13,380,000 | 196,000 | 2,112,800 | 55,128,800 | |
| 49 | Lucknow | 56,210 | 10 | 56,200 | 23,500 | 32,700 | 5 | 20,000 | 11,200 | 5,000 | 32,900,000 | 32,700,000 | 50,000 | 12,000,000 | 4,480,000 | 3,106,200 | 85,241,200 | |
| 50 | Maharajganj | 42,410 | 10 | 42,400 | 42,000 | 400 | 10 | 35,700 | 280 | 5,000 | 58,800,000 | 400,000 | 100,000 | 21,420,000 | 112,000 | 3,229,000 | 84,066,000 | |
| 51 | Mahoba | 14,010 | 10 | 14,000 | 10,200 | 3,800 | 5 | 8,700 | 350 | 5,000 | 14,280,000 | 3,800,000 | 50,000 | 5,220,000 | 140,000 | 934,200 | 24,429,200 | |
| 52 | Mainpuri | 23,710 | 10 | 23,700 | 22,200 | 1,500 | 10 | 18,900 | 840 | 5,000 | 31,080,000 | 1,500,000 | 100,000 | 11,340,000 | 356,000 | 1,761,000 | 46,122,000 | |
| 53 | Mathura | 26,410 | 10 | 26,400 | 24,500 | 1,900 | 5 | 20,800 | 1,600 | 5,000 | 34,300,000 | 1,900,000 | 50,000 | 12,480,000 | 640,000 | 1,949,400 | 51,324,400 | |
| 54 | MAU | 27,710 | 10 | 27,700 | 27,000 | 700 | 5 | 22,900 | 500 | 5,000 | 37,800,000 | 700,000 | 50,000 | 13,740,000 | 200,000 | 2,091,800 | 54,586,800 | |
| 55 | Meerut | 26,510 | 10 | 26,500 | 20,000 | 6,500 | 5 | 17,000 | 6,100 | 5,000 | 28,000,000 | 6,500,000 | 50,000 | 10,200,000 | 2,440,000 | 1,790,200 | 48,985,200 | |
| 56 | Mirzapur | 41,510 | 10 | 41,500 | 39,400 | 2,100 | 5 | 33,500 | 560 | 5,000 | 55,160,000 | 2,100,000 | 50,000 | 20,100,000 | 224,000 | 3,096,600 | 80,735,600 | |
| 57 | Moradabad | 24,360 | 60 | 24,300 | 20,000 | 4,300 | 10 | 17,000 | 4,000 | 30,000 | 28,000,000 | 4,300,000 | 100,000 | 10,200,000 | 1,600,000 | 1,705,200 | 45,935,200 | |
| 58 | Muzaffar Nagar | 28,910 | 10 | 28,900 | 24,500 | 4,400 | 5 | 20,800 | 1,400 | 5,000 | 34,300,000 | 4,400,000 | 50,000 | 12,480,000 | 560,000 | 2,049,400 | 53,844,400 | |
| 59 | Pilibhit | 21,910 | 10 | 21,900 | 20,800 | 1,100 | 5 | 17,700 | 630 | 5,000 | 29,120,000 | 1,100,000 | 50,000 | 10,620,000 | 252,000 | 1,635,800 | 42,782,800 | |
| 60 | Pratapgarh | 48,420 | 20 | 48,400 | 47,000 | 1,400 | 70 | 40,000 | 70 | 10,000 | 65,800,000 | 1,400,000 | 700,000 | 24,000,000 | 28,000 | 3,676,400 | 95,614,400 | |
| 61 | Raebareli | 49,410 | 10 | 49,400 | 47,800 | 1,600 | 5 | 40,600 | 595 | 5,000 | 66,920,000 | 1,600,000 | 50,000 | 24,360,000 | 238,000 | 3,717,400 | 96,890,400 | |
| 62 | Rampur | 21,310 | 10 | 21,300 | 18,500 | 2,800 | 20 | 15,700 | 1,225 | 5,000 | 25,900,000 | 2,800,000 | 200,000 | 9,420,000 | 490,000 | 1,533,000 | 40,348,000 | |
| 63 | Saharanpur | 37,210 | 10 | 37,200 | 30,000 | 7,200 | 5 | 25,500 | 3,500 | 5,000 | 42,000,000 | 7,200,000 | 50,000 | 15,300,000 | 1,400,000 | 2,582,200 | 68,537,200 | |
| 64 | Sambhal | 29,310 | 10 | 29,300 | 27,300 | 2,000 | 50 | 23,200 | 735 | 5,000 | 38,220,000 | 2,000,000 | 500,000 | 13,920,000 | 294,000 | 2,185,800 | 57,124,800 | |
| 65 | Nagar | 34,810 | 10 | 34,800 | 34,000 | 800 | 5 | 28,900 | 70 | 5,000 | 47,600,000 | 800,000 | 50,000 | 17,340,000 | 28,000 | 2,631,800 | 68,454,800 | |
| 66 | Sant Ravidas | 24,510 | 10 | 24,500 | 21,800 | 2,700 | 5 | 18,500 | 350 | 5,000 | 30,520,000 | 2,700,000 | 50,000 | 11,100,000 | 140,000 | 1,775,000 | 46,290,000 | |
| 67 | Shahjahanpur | 38,010 | 10 | 38,000 | 34,500 | 3,500 | 5 | 29,300 | 2,590 | 5,000 | 48,300,000 | 3,500,000 | 50,000 | 17,580,000 | 1,036,000 | 2,777,400 | 73,248,400 | |
| 68 | Shamali | 15,710 | 10 | 15,700 | 12,800 | 2,900 | 5 | 10,900 | 525 | 5,000 | 17,920,000 | 2,900,000 | 50,000 | 6,540,000 | 210,000 | 1,096,600 | 28,721,600 | |
| 69 | Shrawasti | 31,810 | 10 | 31,800 | 31,500 | 300 | 5 | 26,800 | 70 | 5,000 | 44,100,000 | 300,000 | 50,000 | 16,080,000 | 98,000 | 2,421,400 | 62,984,400 | |
| 70 | Nagar | 40,310 | 10 | 40,300 | 39,500 | 800 | 5 | 33,600 | 245 | 5,000 | 55,300,000 | 800,000 | 50,000 | 20,160,000 | 28,000 | 3,052,600 | 79,465,600 | |
| 71 | Sitapur | 84,410 | 10 | 84,400 | 81,200 | 3,200 | 5 | 69,000 | 805 | 5,000 | 113,680,000 | 3,200,000 | 50,000 | 41,400,000 | 322,000 | 6,333,400 | 164,990,400 | |
| 72 | Sonbhadra | 24,910 | 10 | 24,900 | 24,500 | 400 | 5 | 20,800 | 300 | 5,000 | 34,300,000 | 400,000 | 50,000 | 12,480,000 | 120,000 | 1,889,400 | 49,244,400 | |
| 73 | Sultanpur | 41,410 | 10 | 41,400 | 40,200 | 1,200 | 5 | 34,200 | 735 | 5,000 | 56,280,000 | 1,200,000 | 50,000 | 20,520,000 | 294,000 | 3,122,200 | 81,471,200 | |
| 74 | Unnao | 42,110 | 10 | 42,100 | 39,800 | 2,300 | 5 | 33,800 | 735 | 5,000 | 55,720,000 | 2,300,000 | 50,000 | 20,280,000 | 294,000 | 3,134,200 | 81,783,200 | |
| 75 | Varanasi | 39,810 | 10 | 39,800 | 34,800 | 5,000 | 5 | 29,600 | 4,600 | 5,000 | 48,720,000 | 5,000,000 | 50,000 | 17,760,000 | 1,840,000 | 2,861,400 | 76,236,400 | |
| | Total | 2,740,930 | 1,230 | 2,739,700 | 2,478,660 | 261,100 | 1,100 | 2,106,800 | 125,525 | 615,000 | 3,470,040,000 | 261,100,000 | 11,000,000 | 1,264,080,000 | 50,210,000 | 200,273,400 | 5,257,318,400 | |